



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 मई, 1979
ज्येष्ठ 4, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1275/सत्रह-वि०-1—39-1979
लखनऊ, 25 मई, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 21 मई, 1979 ई०को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का अप्रति संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह 7 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 19
सन् 1972 में नई
धारा 5-क का
बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 में, धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

“5-क—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 10 के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार ने तेंदू पत्ता बेचा हो या जिसके साथ तेंदू पत्ता बेचने का अनुबन्ध किया हो, राज्य सरकार की ओर से सीधे तेंदू पत्ता उत्पादक से ऐसे उत्पादकों को उसके मूल्य का भुगतान करने पर उसका संग्रह करने का अनुज्ञा-पत्र देकर विहित रीति से प्राधिकृत कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुज्ञा-पत्र में बेची गयी अनुमानित मात्रा, तेंदू पत्ता उत्पादक का नाम, ऐसे उत्पादक को भुगतान करने के लिये अपेक्षित धनराशि और ऐसे अन्य व्योरे जो विहित किये जायें, विनिदिष्ट होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन के लिये जो विहित किया जाय, अभिकर्ता समझा जायगा, किन्तु वह तेंदू पत्ता के संग्रह के लिए कमीशन के रूप में या अन्य प्रकार से कोई धनराशि पाने का हकदार नहीं होगा।”

निरसन
अपवाद और

3—(1) उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्-द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 8
सन्, 1979

आज्ञा से,

रमेश चन्द देव शर्मा,
सचिव।

No. 1275/XVII-V-1—39-1979

Dated Lucknow, May 25, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 21, 1979:

THE UTTAR PRADESH TENDU PATA (VYAPAR VINIYAMAN)
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1979

[U. P. Act no. 15 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature).

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 7, 1979.

Insertion of new
section 5-A in the
U. P. Act no. 19
of 1972.

2. In the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, after section 5, the following section shall be inserted and deemed always to have been inserted, namely:—

“5-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act but subject to section 16, the State Government or an officer empowered by it by

general or special order in this behalf, may by permit authorise in the manner prescribed a person to whom the State Government has sold or with whom it has agreed to sell tendu leaves to collect the same on its behalf directly from the grower of tendu leaves, on payment of price thereof to such growers.

(2) The permit referred to in sub-section (1) shall specify the estimated quantity sold, the name of the grower of tendu leaves, the amount required to be paid to such grower and such other particulars as may be prescribed.

(3) A person authorised under sub-section (1) shall be deemed to be an agent for all or any of the purposes of this Act as may be prescribed, but shall not be entitled to payment of any amount by way of commission or otherwise for the collection of tendu leaves."

3. (1) The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Vinayaman) (Sanshodhan) Ordinance, 1979, is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.